158

समक्ष : माननीय मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल, ग्वालियर

III/पुर्नस्थापन/रीवा/भू-रा/2017/2206

निगरानी क्रमांक : 3276/III/2013

जिला – रीवा

रामनिधि तिवारी तनय रामप्रताप तिवारी निवासी ग्राम डीही पो. मंगावां तह. त्योंथर जिला रीवा (म.प्र.) .....आवेदक/निगरानीकर्त्ता

विरूद्ध

राधाकांत .....अनावेदक/गैर– निगरानीकर्त्ता

श्री मनोज कुमार द्विवेदी द्वारा आज दि. 13-7-17 को

13.7.17

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 35 (3) सहपठित धारा 32 म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959

आवेदन पत्र बावत प्रकरण की सुनवाई के समय आवेदक की अनुपस्थिति के कारण निगरानी प्रकरण क्रमांक : 3276/III/2013 को खारिज किये जाने के आदेश दिनांक 16.05.2017 को अपास्त कर प्रकरण पुर्नस्थापित किये जाने बावत।

मान्यवर,

आवेदक/निगरानीकर्त्ता की ओर से निम्नलिखित निवेदन है :–

1. यह कि, उपर्युक्त शीर्षक का निगरानी प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल की सर्किट बेंच रीवा में दिनांक 16.05.2017 को सुनवाई हेतु नियत था एवं आवेदक की अनुपस्थिति के कारण, अदम पैरवी में निरस्त कर दिया गया है।

2. यह कि, आवेदक के निगरानी प्रकरण की पैरवी कर रहे अधिवक्ता श्री अजय शंकर मिश्रा द्वारा आवेदक को प्रकरण की सुनवाई की तिथि उनकी डायरी में उल्लेखानुसार दिनांक 16.06.17 बताई गयी थी एवं जब उक्त दिनांक को आवेदक रीवा मे प्रकरण की सुनवाई हेतु अपने अधिवक्ता के साथ प्रस्तुत हुआ, तब उसे ज्ञात हुआ कि प्रकरण

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

तीन/पुर्नास्थापन/रीवा/भूरा/2017/2206

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा आदि के हस्ताक्षर
18-9-17	आवेदक के अधिवक्ता श्री मनोज कुमार द्विवेदी उपस्थित होकर तर्क किया गया है कि प्रकरण कमांक निगरानी 3276–तीन/13 में दिनांक 16.5.17 को अनुपस्थित होने के कारण खारिज हो गया है। अतः पुर्नास्थिापित करने का अनुरोध किया गया है। उनके द्वारा बताया गया है कि उपरोक्त तिथि उनकी डायरी में लेख नहीं थी। 2– अधिवक्ता के तर्को पर विचरोपरांत प्रकरण कमांक निगरानी 3276–तीन/13 में आदेश दिनांक 16.5.17 पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते हैं। यह रेस्टो0 आवेदन स्वीकार कर रेस्टोर्ड किया जाता है। प्रकरण समाप्त कर दा0 रि0 हो। सदस्य	